न्यायिक क्षेत्राधिकार आन्दोलन...

जसवंत सिंह कमीशन का इस्तेमाल कई दिनों की छुट्टियों के बीच एकाध दिन कोर्ट खुलने पर काम न करने के लिए होता था लेकिन इस बार स्थितियां कुछ अलग थी। लखनऊ पीठ में यह आन्दोलन सोढ़े सात जनवरी, 15 से ढाई फरवरी, 15 तक (बायकाट अचानक 2 बजे से शुरु हुआ था) और किसी भी वजह से हो लेकिन क्षेत्राधिकार के लिए तो कतई नहीं। चार दशक पुराना क्षेत्राधिकार का मुद्दा ऐसा नहीं है जिसके लिए बिना कोई रणनीति बनाये बिना कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास किये अचानक कोर्ट में घुसकर बायकाट का एलान कर दिया जाय।

कोर्ट के गलियारों की फुसफुसाहट में तो कई मुद्दे सामने आ रहे थे। कोई कह रहा था कि किसी केस विशेष की सुनवाई बेंच विशेष में न होने पाये तो कोई कह रहा था किसी जज विशेष के समक्ष कोई मुकदमा विशेष न आने पाये, कुछ लोगों का कहना था कि निकट समय में सेवानिवृत्त हो रहे माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष किसी केस की सुनवाई न हो पायें इसलिए यह बायकाट कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा कराया गया। कुछ में तो यहां तक कहा कि यह बायकाट मुख्य न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए कराया गया।

समय बीतने के साथ जो गंभीर आन्दोलन होना चाहिए था वह एक उद्देश्यहीन, दिशाहीन, नेताविहीन हुड़दंगी कार्यक्रम में बदल गया। स्थितियों को हाथ से निकलते देख जब कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो उन्हें भी भला—बुरा कह कर किनारे कर दिया गया।

अब जब इस हुड़दंगी आन्दोलन का कुप्रभाव वादकारियों/ अधिवक्ताओं की रोजमर्रा की जिन्दगी पर पड़ने लगा तो अमरेन्द्र कुमार बाजपेयी के साथ बहुत सारे अधिवक्ताओं ने अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी को ज्ञापन देते हुए कहा कि यदि बायकाट समाप्त नहीं करते तो हम काम पर वापस आयेंगे—

To,
The Executive Committee,
Avadh Bar Association,
High Court, Lucknow.

Date: 04-02-2015

Through : The President and the Secretary.

Dear Sir,

We the undersigned members of the Avadh Bar Association, are under deep pain and agony with the on-going irresponsible state of affairs of the bar, wherein, in the name of expansion of territorial jurisdiction, handful number of lawyers are putting to ransom the fate of entire community of lawyers. They are fully aware that the present agitation has nothing to yield.

Further, during the last few weeks, multiple resolutions of the bar, issued under the seal and signature of the President and that of the Secretary have emerged, wherein, it was declared that the strike was to get over within a day or two thereon, but all such resolutions came out as an eye wash and the vested interest of the striking few was served with subsequent notices extended in the period of strike. The lawyers religiously go by the resolution and inform the litigants accordingly, but when the clients turn up, they irresponsibly communicate that they are still on strike, on the basis of such frivolous resolutions, issued whimsically on short notices.

Accordingly, we the members of the bar are tired of such leadership of the members of the Executive Committee and the elite lawyers constituting the joint action committee, who have actually failed to care for the interest of the institution, litigants and the advocate fraternity at large, proclaiming themselves to belong to a noble profession.

Wherefore in the circumstances in case it is not resolved immediately of coming back to work, we shall be compelled to resume our judicial work as the Hon'ble Apex Court has also ruled in the year 2001 that, members of the legal fraternity have no right to abstain from work, which judgment as on date holds good.

With regards,

Members of the Avadh Bar Association.

- Contd. Pg. 2

इस आन्दोलन से अपनी असहमति जताते हुए अधिवक्ता कमर अहमद ने भी मुख्य न्यायाधीश को लिखा—

To,

The Hon'ble Chief Justice,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Through : The Senior Registrar,
High Court,
Lucknow Bench, Lucknow.

Sub: **Application dated:04-09-2013 under Article-215 read with Article 51-A of the Constitution of India.**

Respected Sir,

It is respectfully submitted as under:

1. That the applicant had moved an application dated:04-09-2013 to the Hon'ble Chief Justice and all his companion Judges sitting at Allahabad and Lucknow. A true copy of which is annexed as **ANNEXURE NO.1** to this application.
2. That before the application dated 04-09-2013 aforementioned, a request in view of Article 51-A of the Constitution was made to the President and Secretary of Oudh Bar Association, High Court, Lucknow Bench, Lucknow dated 29-08-2013 and was received in the office of Oudh Bar Association on behalf of the President and Secretary on the same date. A true copy of request dated 29-08-2013 was already annexed as Annexure to application dated 04-09-2013.
3. That the matter being urgent as the litigants are under going hardship, the matter be placed before the Hon'ble Chief Justice alongwith annexure no.1 to this application alongwith its annexure at the earliest.
4. That in view of the above it is humbly requested that appropriate action in accordance with Law be initiated to enable the Courts to function in accordance with the Constitution and Law.

Place:Lucknow
Encl: As above.
Dated: 30-01-2015

(QAMAR AHMAD)
Advocate
Reg. No. 1334 of 1972
R/o 21/6 Ka Tilak Marg,
Lucknow, Pin-226001.
(P) 0522-2208166
(M) 9415093598

इसमें भी उन्होंने वादकारियों की व्यथा का जिक्र है।

इस आन्दोलन की विडम्बना यह रही कि घोषित तौर पर अचानक परन्तु अघोषित तौर पर सोची समझी रणनीति के तहत बिना कार्यकारिणी समिति में संकल्प पारित किये अचानक दो बजे बायकाट शुरु हुआ जैसे कि यह कल से शुरु होगा तो आसमान फट पड़ेगा और दोपहर दो बजे शुरु हुए बायकाट का रैटीफिकेशन शाम को चार बजे के बाद कार्यकारिणी में हुआ। लगभग चार हजार की क्षमता वाली अवधबार की सामान्य सभा मात्र 100—200 सदस्यों की मान ली गयी। एक अहम प्रश्न और कि जब बायकाट कार्यकारिणी के संकल्प से हुआ तो इसकी समाप्ति के लिए सामान्य सभा की आवश्यकता क्यों पड़ गयी? आन्दोलन में पूरी बार बिखरी हुई नज़र आयी पूरा आन्दोलन अपनी अपनी ढ़पली अपना अपना राग पर चला।

आन्दोलन का घोषित उद्देश्य तो पूरी तरह पराजित हुआ लेकिन अघोषित उद्देश्य में वे लोग सफल रहे जो भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए पीठ विशेष में केस विशेष की सुनवाई नहीं चाहते थे, जो निकट भविष्य में बार का चुनाव लड़ना चाहते हैं (भाषण की प्रैक्टिस कर रहे थे)। इन सब के बीच सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि इस आन्दोलन से बार, बेंच, सीनियर, जूनियर तथा एसोसियेशन सबकी कलई उतर गयी तथा गरिमा को गहरा आघात लगा। अब इस बार एसोसियेशन को सिद्धान्त रूप में यह निर्णय ले लेना चाहिए कि वह क्षेत्राधिकार बढ़ाने के मुद्दे पर कभी आन्दोलन नहीं करेगी क्योंकि इस आन्दोलन का आगाज तो बुरे ढ़ंग से हुआ ही था अंजाम उससे भी बुरा हुआ।

चालीस दिन तक चले इस आन्दोलन ने बार एसोसियेशन के साथ—साथ पूरे न्यायतंत्र का चालीसावां कर दिया।❑

और दुलारी मिल गयी...

बाबा का भूख हड़ताल खत्म करने का यह तरीका देखकर पूरा परिवार अपनी हंसी नहीं रोक पाया।

न्यायिक क्षेत्राधिकार विस्तार के आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य 19 जनवरी तक कार्य बहिष्कार करने का था इसलिए 20 जनवरी से कार्य पर वापस आने की कोशिश हुई लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं के एक गुट को लगा कि यदि ऐसा हो गया तो दूसरे गुट भी धाक जम जायेगी इसलिए उसने यह सुनिश्चित किया कि 23 जनवरी (जबतक मुख्य न्यायाधीश यहां बैठ रहे हैं) तक तो यह कार्य बहिष्कार चलना ही चाहिए जिसमें वे सफल रहे ज्ञात हो कि 20 जनवरी को न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह के विदाई समारोह में मुख्य न्यायाधीश ने मंच से खचाखच भरे पंडाल में कहा था मैं उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश हूँ आप काम पर आइए हमारे हाथ में जितना है हम कर देंगे लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया और अपेक्षा की गयी कि लिख कर दें।

24, 25 व 26 जनवरी को छुट्टी थी। इसके बाद सामान्य अधिवक्ता (जो किसी राजनीति में न पड़कर अपना काम काज करते हैं) का तेवर आन्दोलन के विरुद्ध होते देख एक कोशिश फिर शुरु हुई और इसको समाप्त कराने के लिए सम्मानजनक रास्ता खोजा जाने लगा।

इस रास्ते के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनके आश्वासन (मौखिक लिखित नहीं) पर कार्यकारिणी ने 30 जनवरी को निर्णय लिया कि 2 फरवरी को मीटिंग होगी और 3 फरवरी से काम होगा। 3 फरवरी को जो हुड़दंग हुआ उसका परिणाम हुआ कि सारे अखबारों में एसोसियेशन मतभेद की बात छपी क्योंकि बार के अध्यक्ष ने कहा 3.2.15 को बायकाट रहेगा जबकि सचिव ने कहा 3.2.15 से काम होगा बायकाट निलंबित कर दिया गया है।

अन्त में 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन कार्यबहिष्कार का निर्णय कार्यकारिणी ने लिया। 4 फरवरी के बाद स्थिति विस्फोटक होने लगी तो फिर बायकाट समाप्त करने का रास्ता खोजा जाने लगा उसी के तहत 11 फरवरी को कुछ लोग दिल्ली जाकर विधिमंत्री से मिलने की बात कहकर इस आधार पर 16 फरवरी से कार्यबहिष्कार समाप्त किया कि उन्होंने 'सहानुभूति पूर्वक' विचार करने का आवश्वासन दिया है। अब अहम बात यह है कि जब ठीक इसी प्रकार हमारे न्यायिक परिवार के मुखिया मुख्य न्यायाधीश ने मंच से आश्वासन दिया तो उनसे लिखित में देने के लिए कहा गया, जब प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री ने मामले को देखने की बात कही तो उनसे भी ऐसी ही अपेक्षा हुई फिर विधि मंत्री के मौखिक आश्वासन में ऐसे किस पकवान की महक थी जो आन्दोलन स्थगित हो गया। और फिर वही यक्ष प्रश्न आन्दोलन किस लिए हुआ?❑

आइडियल एडवोकेट वेलफेयर एसोसियेशन

अवधबार एसोसियेशन के आन्दोलन की दिशाहीनता, नेताविहीनता का परिणाम यह हुआ कि इसकी कार्य प्रणाली से क्षुब्ध कुछ अधिवक्ताओं ने आइडियल एडवोकेट वेलफेयर एसोसियेशन अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता तथा के.के. सिंह के महामंत्रित्व में गठित कर क्षेत्राधिकार की बढ़ोत्तरी की लड़ाई शुरु की जिसमें यू.सी. सिंह, मनोज पाण्डेय, अवनीश भट्ट अधिवक्तागण ने श्रमिक अनशन किया तथा मोमबत्तियां जला कर धरना भी दिया।